न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर रीवा सर्किट कोर्ट (म0प्र0)

रामनारायण पिता स्व0 आत्माराम बैसवार निवासी ग्राम औड़ी, थाना अनपरा, तह0 दूदी जिला सोनभद्र उ0प्र0 हाल निवासी ग्राम बरहटी, तह0 चितरंगी, जिला सिंगरौली म0प्र0

—————आवेदक

बनाम

1— म0प्र0 शासन

2— वासुदेव पिता सुगन प्रसाद वैसवार निवासी ग्राम

3— बसंतलाल बरहटी, तह0 चितरंगी, जिला सिंगरौली

4— शंखलाल (म0प्र0)

—————अनावेदगण

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली, के प्रकरण कमांक 158/निग0/2011—2012 में पारित आदेश दिनांक 15/01/2013 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 ई0

महोदय,

प्रकरण के तथ्य

यह कि भूमि खसरा कमांक 186/3 रकवा 0.50 हे, खसरा कमांक 191 रकवा 0.47 हे, खसरा कमांक 192 रकवा 0.88 हे, एवं खसरा कमांक 195/2 रकवा 0.15 हे. कुल किता 4 कुंल रकवा 2.00 हे0 स्थित ग्राम बरहटी, वृत्त दुधमनिया तह0 चितरंगी, जिला सिंगरौली, की भूमियॉ जिनको आवेदक ने रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 30/08/2007 को अनावेदक कमांक 02 ता 04 से कय कर एवं नामांतरण कराकर

XXXIX(a)-BR(H)-11

(27)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–1728-III / 13** जिला–सिंगरौली

रामनारायण वैसवार / शासन, वासुदेव

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 158 / निग0 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	